न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि[कारी]
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
26-5-15	अपीलार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र पेश। एक अन्य करने पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। निवेदन किया है कि अपीला० प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर [illegible] बाहमी राजीनामा आपसी तारीख पर व रेस्पो० के मध्य बाहमी राजीनामा [illegible] से आराजी जो होगया है। रेस्पो० ने अपीला० के पक्ष 9 बीघा 6 बिस्वा अपील में दर्ज है, ख०नं० 875 रकबा को विक्रय करने का वाके ग्राम कोरोड़ी तहसील बानसूर निष्पादित कर रजिस्टर्ड व अपी० के पक्ष में बयनामा लिख दिया है। करने के बाबत करार पत्र जिस ऐग्रीमेन्ट पर शान्ती देवी व चोखाराम ने बतौर अपीलार्थी एग्रीमेन्ट लिखकर हस्ताक्षर कर दिये हैं। अपील तय होने पर शान्ती देवी व चोखाराम विरुद्ध पत्र अपीला० के पक्ष में निष्पादित रूप से रजिस्टर्ड कर देंगे। अतः अपील अपी० चलाना नहीं चाहता है, अपीला० की ओर से अपील नहीं चलाये जाने के कारण दाखिल दफ्तर करने की कृपा करें। अपी० चन्द्रवीर के हस्ताक्षर करवाये गये। पहचान श्री कैलाश नारायण गुप्ता एड० ने की है। रेस्पो० की ओर से श्री चोखाराम के हस्ताक्षर करवाये गये। जिनकी पहचान श्री अशोककुमार गुप्ता एड० ने की है। अतः जब अपीलार्थी ही अपील को आगे चलाना नहीं चाहता है तो पत्रावली अपीला० के निवेदन के अनुसार अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली कैफल मुकम्मल होकर नम्बर से कम की जावे। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

श्रीमती कैलाश देवी वगै. V/S टेकचन्द वगै.

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
22-5-2015	पत्रावली पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। संस्थित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपील को एडमिशन के स्टेज पर सुना गया। अपीला० ने अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर के आदेश दिनांक 5-12-2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील पेश की है। तहत अदालत के वाद संख्या 306/14 उनवान कैलाश देवी बनाम टेकचन्द की आदेशिका दिनांक 9-10-14 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीला० को अप्रार्थीगण के समन/तलबाना मय रजि० AD भरकर पेश करने हेतु निर्देशित किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 5-12-2014 नियत की गई थी। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर ने दिनांक 5-12-2014 को दिनांक 9-10-14 की पालना में प्रतिवादीगण की तामील नहीं कराने के फलस्वरूप वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 CPC नान कम्पलेंश में खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध अपीला० ने यह अपील पेश की है। अभिभाषक अपीलार्थी के एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश फाईनल एडजुडिकेशन नहीं माना जा सकता बल्कि इस प्रकार डिफाल्ट में खारिज दावे को रेस्टोर आर्डर 9 नियम 4 CPC के तहत करवाया जाना चाहिए था। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है। अपीला-रान इसके लिए तहत अदालत से रेस्टोरेशन की कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। बाद तकमील दाखिल अभिलेखागार की जावे। [हस्ताक्षर] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	

Scanned by CamScanner